

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 04/2021

निर्णय दिनांक 27.01.2021

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का घेघडा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

कैलाश पुत्र नारायणराम जाति राईका साकिन घेघडा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

(अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का घेघडा ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी कैलाश पुत्र नारायणराम जाति राईका साकिन घेघडा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ने ग्राम घेघडा के खसरा नम्बर 263 में 10.00 बीघा धारानी अराजीराज भूमि पर कृषि सम्वत् 2077 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बना की फसल काशत कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 27.01.2021 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 27.01.2021 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति में अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा वेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 125/- अक्षरे एक सौ पच्चीस रूपये शास्ति आरोपित कर वेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। भू.अ.निरीक्षक संसारदेसर को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खड़ी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष में जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से वेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुलदीप सिंह)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक  
छतरगढ़ (बीकानेर)

विभागाध्यक्ष एवं कार्यपालक दण्डनायक  
छतरगढ़ (बीकानेर)